न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
40 / 2022

दायर दिनांक
31.03.2022

निर्णय दिनांक
30.05.2025

अनवान

1. शंकर लाल पुत्र भैरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. पप्पुलाल पुत्र खुराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतनलाल पुत्र खुराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. उदी बाई पत्नी खुराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. पुष्पा देवी पुत्री खुराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. बदाम देवी पुत्री खुराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. किशनलाल पुत्र प्यारचंद जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. भेरूलाल पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. मोहनलाल पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. हजारी लाल पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. मदनलाल पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. सम्पतलाल पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. शंकरी पुत्री जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. नोजी पुत्री जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. डाली बाई पत्नी जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. बदा[illegible] बाई पत्नी हंसराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
16. छ[illegible]लाल पुत्र हंसराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
17. देवीलाल पुत्र हंसराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
18. सुन्दर पुत्री हंसराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

[illegible]
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

19. कमला पुत्री भैरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
20. प्रकाश पुत्र सम्पत लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
21. रामेश्वर पुत्र भेरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
22. शान्ती बाई पत्नी सम्पत लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
23. संजय पुत्र सम्पत लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
24. सोसर पत्नी भेरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी — प्रार्थी
अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट — अप्रार्थी सं0 1 से 5

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 160 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1371/171, 1454/185, 1455/185, 1518/188, 171, 172, 174, 175, 183, 184, 186, 84 कुल किता 12 कुल रकबा 4.80 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 158 के आराजी संख्या 1410/1118, 185 कुल किता 02 कुल रकबा 0.64 हैक्ट0, खाता संख्या 166 के आराजी संख्या 1372/172, 1435/189, 180, 181, 189, 190, 91, 92 कुल किता 08 कुल रकबा 2.00 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 15.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 6 से 24 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट का अधिकार पत्र मय जवाब पूर्व में दिनांक 15.06.2022 को प्रस्तुत किया जो शा0फा0 है। जवाब निम्नानुसार है—

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात सामलाती होकर खातेदारी है। यह कि उक्त प्रकरण में वर्णित आराजीयात सम्बन्धित माननीय न्यायालय में बटवाडे का वादपत्र विचाराधीन है जिसकी प्रकरण संख्या 56/2021 एवं तारिख पेशी दिनांक 23.08.2022 को नियत है। इस कारण उक्त आराजीयात का बटवाडा हो तब तक उक्त पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मौजा रूपाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 160 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1371/171, 1454/185, 1455/185, 1518/188, 171, 172, 174, 175, 183, 184, 186, 84 कुल किता 12 कुल रकबा 4.80 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 158 के आराजी संख्या 1410/1118, 185 कुल किता 02 कुल रकबा 0.64 हैक्ट0, खाता संख्या 166 के आराजी संख्या 1372/172, 1435/189, 180, 181, 189, 190, 91, 92 कुल किता 08 कुल रकबा 2.00 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ़

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ